(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला चौकी ,एसीबी, अजमेर ....थाना सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष ...2022.....
प्र. इ. रि. स. 326/2022 दिनांक 24/8/2022
2. (अ) अधिनियम ... .धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 432 समय 4.00 P.M. .....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 23.08.2022.... सम06.19 पी.एम. .....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 23.08.2022 समय.....01.50 पीएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा उत्तर पूर्व25 किमी .....
(ब) पता –बणी ठणी रेस्टारेन्ट के सामने अजमेर जयपुर मार्ग किशनगढ जिला अजमेर
बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....
6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री मनीष टांक.....
(ब) पिता का नाम श्री निहाल चन्द टांक.....
(स) जन्म तिथि /वर्ष 44 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....
जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... .....शराब की दुकान पर नौकरी.....
(ल) पता ... कृष्णापुरी किशनगढ जिला अजमेर.....
7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
शिशुपाल सिंह पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति कुमावत उम्र 50 साल निवासी कुमावत मोहल्ला गांव बुहाना पुलिस थाना बुहाना जिला झुझुनु हाल आबकारी निरीक्षक वृत किशनगढ जिला अजमेर

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....20,000रू0 रिश्वत राशि. .....

10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....20,000रू0 रिश्वत राशि

11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
सेवामें श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर विषयः–रिश्वत मांगने की शिकायत। महोदय,निवेदन है कि मेरा नाम मनीष टाकं पुत्र श्री निहाल चन्द टांक है। मै कृष्णापुरी किशनगढ जिला अजमेर का रहने वाला हूं। मै श्री मनीष टांक पुत्र श्री दीपक जी टांक निवासी किशनगढ जिला अजमेर के लिये काम करता हूं। श्री मनीष जी की कस्बा किशनगढ में चार शराब की दुकाने है। यह दुकाने श्री मनीष टांक, श्रीमति शर्मीला टांक पत्नि मनीष टांक,रजत टांक पुत्र मनीष टांक के नाम से संचालित है। इन चारो दुकानो की देखभाल बतौर मैनेजर मे ही कर रहा हूं।कल दिनांक 22.08.2022 को शाम करीब साडे पांच बजे श्री शिशुपाल सिंह आबकारी निरीक्षक ,किशनगढ का अपने मोबाईल नम्बर 9461113026 से मेरे मोबाईल न. 8058206026 पर फोन आया तथा मुझे मिलने के लिये बुलाया। मे तुरन्त ही शिशुपाल सिंह के पास गया जो मैन रोड पर अपनी गाडी इको स्पोर्ट मे बेठे हुये थे मै भी उसकी कार मे बैठ गया तथा शिशुपाल सिंह ने मेरे सेठ जी की चार दुकानो को निर्बाध रूप से चलाने की ऐवज में मासिक बन्धी के रूप में 25,000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा उन्होने कहा कि पैसे नही देने पर कई तरह की मुश्किले आ सकती है। मैने शिशुपाल सिंह से कहा कि मै मेरे सेठ जी मनीष जी टांक से बात करके बताउंगा। मैने यह बात मेरे सेठ जी मनीष जी को बताई तो उन्होने कहा कि हमे हमारी दुकानो के संचालन के सम्बन्ध मे कोई रिश्वत नही देनी है तथा शिशपुाल सिंह के विरूद्व रिश्वत लेते पकडवाने की कार्यवाही करनी है। उन्होने मुझे एसीबी में शिकायत करने की सलाह दी शिशुपाल सिंह इस सम्बन्ध में मेरे से ही बात करेगा। वह मनीष जी

से बन्धी के सम्बन्ध मे कोई बात नही करेगा। हम ऐसे रिश्वत खोर आबकारी अधिकारी शिशुपाल सिंह को रिश्वत नही देना चाहते है। बल्कि रिश्वत लेते हुये पकडवाने की कार्यवाही करना चाहते है। कृपया कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 23.08.2022 प्रार्थी–एस डी– मनीष टांक 8058206026

–:: कार्यवाही पुलिस पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर कैम्प किशनगढ::–

समय 23.08.2022 **समय 01.50 पीएम**

उपरोक्त तहरीरी रिपोर्ट परिवादी श्री मनीष टांक पुत्र श्री निहाल चन्द टांक जाति टांक उम्र 44 साल निवासी कृष्णापुरी, किशनगढ जिला अजमेर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सम्बोधित करते हुये मन् उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत की। दर्ज रहे परिवादी श्री मनीष टांक ने जरिये वाट्स–एप कॉल के द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत करवाया गया कि आबकारी निरीक्षक किशनगढ हमारी शराब की दुकानो के संचालन मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने के बदले मे मासिक बन्धी के रूप में रिश्वत की मांग कर रहे है। परिवादी को हिदायत दी गई कि इस सम्बन्ध मे एसीबी कार्यालय अजमेर पर उपस्थित आकर रिपोर्ट प्रस्तुत करे जिस पर परिवादी ने बताया कि मै अभी अजमेर आने मे असमर्थ हूं आप किशनगढ आ जाओ मै किशनगढ मे आपको रिपोर्ट दे दूंगा। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर श्री सतनाम सिंह को हालात से अवगत करवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हैड कानि0 श्री कैलाश चारण नम्बर 94 के मय प्राईवेट वाहन वायॅस रिकॉर्डर,मैमोरी कार्ड,लैपटॉप,प्रिन्टर आदि के समय 01.20 पीएम पर एसीबी चौकी अजमेर से रवाना होकर किशनगढ पहुंच परिवादी से गोपनीय स्थान पर सम्पर्क किया गया। परिवादी के साथ में श्री मनीष टांक पुत्र श्री दीपक जी टांक उम्र 49 साल जाति टांक निवासी टांक मेन्शन बालाजी की बगीची के पीछे किशनगढ जिला अजमेर भी उपस्थित मिले। परिवादी ने दरियाफ्त पर प्रार्थना पत्र मे लिखे तथ्य सही होना स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र खुद कलमी होकर स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। उक्त प्रार्थना पत्र श्री मनीष टांक पुत्र श्री दीपक टांक को दिखाया व पढाया गया तो प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्य सही होना स्वीकार किये गये। श्री मनीष टांक पुत्र श्री दिपक टांक द्वारा प्रार्थना पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये तथा बताया कि किशनगढ में मेरी कुल चार शराब की दुकाने है जिसमें एक दुकान मेरे नाम से, एक दुकान मेरी पत्नि श्रीमती शर्मिला के नाम से तथा दो दुकाने मेरे पुत्र रजत के नाम से संचालित हो रही है। मेरी उक्त चारो दुकानो को निर्बाध रूप से चलाने तथा कोई व्यवधान उत्पन्न नही करने के बदले मे श्री शिशुपाल सिंह आबकारी निरीक्षक द्वारा बतौर रिश्वत मासिक बन्धी के रूप में रिश्वत की मांग की जा रही है। जबकि मेरी दुकाने राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है इसके बावजूद भी आबकारी निरीक्षक शिशुपाल सिंह द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। यदि शिशुपाल सिंह को रिश्वत राशि नही दी जायेगी तो वह मेरे कर्मचारी को लगातार परेशान करेगा तथा दुकान के संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। श्री शिशुपाल सिंह आबकारी निरीक्षक रिश्वत के सम्बन्ध मे मेरे से किसी भी प्रकार की बात नही करेगा वह मेरे कर्मचारी मनीष से ही मासिक बन्धी/रिश्वत के सम्बन्ध मे वार्ता करेगा। आगामी समस्त कार्यवाही मेरे मैनेजेर श्री मनीष टांक पुत्र श्री निहाल चन्द द्वारा ही की जायेगी। इस कार्यवाही मे मेरी पूरी सहमति है। पूछने पर किसी भी प्रकार के उधार के लेनदेन से इंकार किया गया तथा किसी भी प्रकार की रंजिश से मना किया गया। परिवादी द्वारा श्री मनीष टांक की शराब की दुकान नम्बर 342 को जारी शुदा लाईसेन्स पत्रांक 2910 दिनांक 25.03.2022, श्रीमती शर्मिला टांक की शराब की दुकान नम्बर 359 को जारी लाईसेन्स पत्रांक 279 दिनांक 11.04.2022, श्री रजत टांक

की शराब की दुकान नम्बर 336 को जारी लाईसेन्स पत्रांक 2575 दिनांक 11.03.2022 व दुकान संख्या 315 को जारी लाईसेन्स पत्रांक 2566 दिनांक 11.03.2022 की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रंतिया प्रस्तुत की जिसे शामिल कार्यवाही किया गया। प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र व दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के सम्बन्ध मे अवगत करवाया गया तो परिवादी ने बताया कि कल मेरे व शिशुपाल सिंह आबकारी निरीक्षक के मध्य हुई वार्ता मे मैने उनसे कहा था कि मै हमारे सेठ जी से बात करके बताउंगा। इसलिये मै उनसे जाकर आज बात कर हमारे बीच हुई बातचीत को रिकॉर्ड कर लूंगा। मेरी उनसे मोबाईल पर भी बात होती है। इस पर संदिग्ध अधिकारी की लोकेशन की जानकारी हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर 8058206026 से शिशुपाल सिंह आबकारी निरीक्षक के मोबाईल नम्बर 9461113026 पर समय 02.18 पीएम पर वार्ता करवाई गई तो श्री शिशुपाल सिंह, आबकारी निरीक्षक द्वारा स्वंय का अजमेर होना बताते हुये थोडी देर मे आने की कहा गया। उक्त वार्ता को साथ लाये वायॅस रिकॉर्डर मे नया मैमोरी कार्ड डाला जाकर परिवादी का मोबाईल फोन के स्पीकार को ऑन करवाकर रिकॉर्ड किया गया। परिवादी ने बताया कि शिशुपाल जी से आज ही बात होकर आज ही रिश्वत राशि का लेन देन होने की पूरी सम्भावना है। कार्यालय मे जरिये मोबाईल फोन दो गवाहो की तलबी की जाकर ट्रेप बॉक्स व लैपटॉप प्रिन्टर सहित तैयार रहने हेतु निर्देशित किया गया। मन उप अधीक्षक मय हैड कानि0 श्री कैलाश चारण के परिवादी व श्री मनीष टांक के साथ ही गोपनीय स्थान पर मुकीम रहा। परिवादी को वायॅस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश की गई। इसी दौरान श्री मनीष टांक पुत्र श्री दिपक टांक ने अवगत करवाया कि उन्हे आवश्यक कार्य है तथा अग्रिम कार्यवाही मेरे मैनेजर श्री मनीष द्वारा ही की जानी है इसलिये मुझे जाने की ईजाजत दी जावे। श्री मनीष टांक पुत्र श्री दिपक टांक को रूख्सत किया गया। दिनांक 23.08.2022 समय 3.57 पीएम पर संदिग्ध अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह के मोबाईल नम्बर 9461113026 से परिवादी श्री मनीष टांक के मोबाईल नम्बर 8058206026 पर मोबाईल कॉल आया वार्ता अनुसार परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य पावर हाउस के सामने मिलना तय हुआ। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल फोन का स्पीकर ऑन किया जाकर वार्ता को वायॅस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया। दिनांक 23.08.2022 समय 04.00 पीएम पर वायॅस रिकॉर्डर ऑन किया जाकर परिवादी मनीष टांक व हैड कानि0 श्री कैलाश चारण को परिवादी की मोटर साईकिल से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सम्पादित किये जाने हेतु रवाना किया गया। दिनांक 23.08.2022 समय 04.20 पीएम पर श्री कैलाश चारण हैड कानि0 व परिवादी श्री मनीष टांक मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आया। श्री कैलाश चारण हैड कानि ने वायॅस रिकॉर्डर बन्द अवस्था में प्रस्तुत किया जिसे सुरक्षित रखा गया। परिवादी ने अवगत करवाया गया कि आपके पास से जाकर पावर हाउस के सामने पहुंचा जंहा पर श्री शिशुपाल सिंह आबकारी निरीक्षक अपनी इको स्पोर्ट कार मे पहले से ही मौजूद था। मै उसकी कार के अन्दर बैठा जंहा पर हमारे बीच में बातचीत हुई। हमारे मध्य हुई बातचीत मे शिशुपाल सिंह द्वारा प्रत्येक दुकान के 6 हजार रूपये की मांग की तथा 25000 रूपये देने की कहा तथा मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करने की कहने पर मैने प्रति दुकान पांच हजार रूपये देने की कहा तो उसने सहमति देते हुये कहा कि किसी दूसरो को मत बता देना तथा एक डेढ घण्टे में रिश्वत राशि देना तय हुआ है। वायॅस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड वार्ता को चालू करके सुना गया तो परिवादी के कथनो की ताईद हुई। इसी दौरान एसीबी स्टॉफ के सदस्यो को स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स,लैप टॉप प्रिन्टर,फिनोफ्थलीन पाउडर सहित किशनगढ स्थित गोपनीय स्थान पर अविलम्ब पहुंचने के निर्देश दिये गये। दिनांक 23.08.2022 समय 05.00 पीएम पर एसीबी स्टॉफ के सदस्य श्री रामचन्द्र हैड कानि नम्बर 58, श्री युवराज सिंह हैड कानि नम्बर 120, श्री श्योपाल हैड

कानि नम्बर 40(फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सहित) श्री त्रिलोक सिंह कानि नम्बर 24, श्री रविन्द्र सिंह कानि नम्बर 308 मय लैप टॉप प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स आदि के प्राईवेट वाहन से उपस्थित आये तथा स्वतन्त्र गवाहान श्री भरत मित्तल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मित्तल जाति अग्रवाल उम्र 32 साल निवासी मकान नम्बर 141,ज्ञान विहार कॉलोनी, पुष्कर रोड अजमेर हाल अस्टिेन्ट प्रोग्रामर राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग अजमेर व श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री सुखपाल जाति रैगर उम्र 32 निवासी गांव सराधना पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर हाल सूचना सहायक राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग अजमेर भी उपस्थित आये जिन्हे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उपरोक्तानुसार परिचय प्राप्त किया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहो को पढकर सुनाया गया व दिखाया गया तथा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो वायॅस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड है,वायॅस रिकॉर्डर चालू कर मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहो द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान रहने की मौखिक सहमति प्रदान की गई। दिनांक 23.08.2022 समय 05.25 पीएम परइस समय परिवादीश्री मनीष टांक को रूबरू गवाहान के रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी ने रिश्वत मे दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20000 रूपये पेश किये, जिनका विवरण अकिंत कर नोटो पर श्री श्योपाल हैड कानि नम्बर 40 द्वारा साथ लाये फिनोफथलीन प्राउडर कोश्री श्योपाल हैड कानि से उक्त नोटो पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री मनीष टांक द्वारा पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रकिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत पृथक से तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 23.08.2022 समय 05.50 पीएम पर श्री श्योपाल हैड कानि को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सहित एसीबी कार्यालय अजमेर के लिये रवाना किया गया।दिनांक 23.08.2022 समय 05.54 पीएम पर संदिग्ध अधिकारी श्री शिशुपाल सिंह के मोबाईल नम्बर 9461113026 पर परिवादी श्री मनीष टांक के मोबाईल नम्बर 8058206026 से कॉल करवाया गया परन्तु आरोपी का मोबाईल फोन व्यस्त आया। समय 05.55 पीएम पर आरोपी अधिकारी का परिवादी के मोबाईल पर कॉल आया वार्ता अनुसार बणी ठणी रेस्टोरेन्ट के पास वाली दुकान पर मिलना तय हुआ। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन करवाया जाकर वायॅस रिकॉर्डर में नया मैमोरी कार्ड डाला जाकर वार्ता को रिकॉर्ड किया गया। दिनांक 23.08.2022 समय 06.00 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टॉफ के बणी ठणी रेस्टोरेन्ट के पास स्थित परिवादी से सम्बन्धित शराब की दुकान के लिये रवाना हुआ। परिवादी श्री मनीष टांक व श्री कैलाश चारण हैड कानि परिवादी की मोटर साईकिल से रवाना हुये। दिनांक 23.08.022 समय 06.05 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिय मय हमराहीयान के बणी ठणी रेस्टारेन्ट के पास स्थित शराब की दुकान पर पहुंचा समय 06.12 पीएम पर आरोपी शिशुपाल सिंह का परिवादी के मोबाईल फोन पर फोन आया जिसमें आरोपी द्वारा परिवादी के दुकान के बारे पूछते हुये दुकान कोस करना बताया। वार्ता को वायॅस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड किया गया तथा वायॅस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द किया जाकर रिश्वत राशि आरोपी शिशुपाल को दिये जाने हेतु रवाना किया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुआ।दिनांक 23.08.2022 समय 06.19 पीएम पर परिवादी ने जरिये दूरभाष श्री कैलाश हैड़ कानि0 से वार्ता करते हुए अपने सिर पर हाथ फेर कर रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर कैलाश हैड़ कानि0 ने मन् उप अधीक्षक पुलिस प्रभुलाल व हमराहीयान को रिश्वत राशि प्राप्ति का ईशारा किया। मन् उप पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्य श्री रामचन्द्र हैड़ कानि0 58, श्री

युवराज सिंह हैड़ कानि0 120, श्री त्रिलोक सिंह कानि0 24, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 308 के बणी ठणी रेस्टोरेंट के सामने जयपुर अजमेर रोड़ किशनगढ़ पर आरोपी की कार ईको स्पोर्टस नम्बर आर.जे.–45–सीडी–6507 के पास पहुॅचे, जहां पर कार के पास परिवादी श्री मनीष टांक एवं कैलाश हैड़ कानि0 उपस्थित मिले तथा ड्राईवर सीट पर एक व्यक्ति हल्का भूरा रंग शर्ट एवं चश्मा पहने हुए बैठा मिला। ड्राईवर सीट की फाटक एवं कांच खुला हुआ था। परिवादी से वॉयस रिकार्डर प्राप्त किया जाकर बंद किय गया। परिवादी ने ड्राईवर सीट पर बैठे व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि "यही शिशुपाल सिह जी इंस्पेक्टर साहब है, जिन्हौंने अभी–अभी हमारी चार शराब की दुकानो की मंथली के प्रत्येक दुकान के 5000 रूपये के हिसाब से 20,000 रूपये रिश्वत राशि अपने हाथ मे लेकर अपनी पहनी पेंट की बांयी जेब में रख लिये हैं।" इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए परिचय पूछा तो अपना नाम शिशुपाल सिंह पुत्र श्री गिरधारी लाल जाति कुमावत उम्र 50 साल निवासी कुमावत मोहल्ला गांव बुहाना पुलिस थाना बुहाना जिला झुझुनु हाल आबकारी निरीक्षक वृत किशनगढ जिला अजमेरहोना बताया। उक्त श्री शिशुपाल सिंह को परिवादी की और ईशारा कर रिश्वत राशि प्राप्ति के संबंध में पूछा गया तो श्री शिशुपाल सिंह ने बताया कि "साहब गलती हो गई, ले दे के मामला सलटा लो, क्यों मामले को आगे बढ़ा रहे हो।" इस पर पुनः पूछा कि आपने परिवादी श्री मनीष टांक से 20,000 रूपये रिश्वत राशि किस बात की ली हैं। इस पर श्री शिशुपाल सिंह ने बताया कि "मैने मनीष से रिश्वत नही मांगी मनीष खुद ही मेरी गाडी में बैठा और जबरदस्ती रख कर चला गया था।" इस प्रकार आरोपी श्री शिशुपाल सिंह आबकारी निरीक्षक वृत किशनगढ़ द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त किया जाना पाया जाने पर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच के गिलास निकालकर पास ही स्थित केबिन से पानी की बोतल मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासो को पुनः साफ करवाकर दोनो गिलासो मे साफ पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना स्वीकार किया, जिसमे अलग अलग गिलासो के घोल मे श्री शिशुपाल सिंह के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धोवण का रंग हल्का मटमेला एवं बांये हाथ के धोवण का रंग हल्का गुलाबी झाईनुमा हो गया, जिसे उपस्थितगणो को दिखाया जाने पर सभी ने धोवण का रंग कमशः हल्का मटमेला व हल्का गुलाबी झांईनुमा होना बताया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शिशियो को पुनः साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयो मे आधा–आधा भरकरचारो शीशीयों को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री शिशुपाल सिंह की निशादेही से उसकी पहनी हुई पेंट की बांयी जेब की तलाशी गवाह श्री पृथ्वीराज से लिवायी गयी तो पेंट की जेब में 500–500 रूपये के नोट निकाले, जिस पर दोनो गवाहान को उक्त नोटो को गिनने व पूर्व में तैयार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से मिलान करवाया गया तो दोनो गवाहान ने नोटो को गिनकर 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये होना व नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना बताया। चूंकि घटना स्थल आम रास्ता होने से नोटो को गवाह के पास ही रखवाये गये। अग्रिम कार्यवाही पुलिस थाना मदनगंज पहुॅचकर किये जाने हेतु आरोपी को ट्रेप कार्यवाही हेतु लाये गये वाहन टवेरा में बैठाने हेतु उसकी गाड़ी से उतारकर ले जाने लगे कि आरोपी श्री शिशुपाल सिंह ट्रेप पार्टी सदस्यो से हाथ छुड़ाकर भागने लगा तथा भागते हुए रोड़ के डिवाडर को कुद कर विपरित साईड जयपुर की और भागने लगा, जिस पर उसका पीछा करते हुए ट्रेप पार्टी सदस्यो की सहायता से पकड़ा व उसे साथ लेकर टवेरा वाहन के पास पहुॅचकर टवेरा वाहन में बैठाया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय आरोपी मय जब्तशुदा आर्टिकल के टवेरा वाहन एवं आरोपी के वाहन

सहित मौके से रवाना होकर पुलिस थाना मदनगंज, पहुँचा। पुलिस थाना मदनगंज के थानाधिकारी से पुलिस थाना मे बैठकर कार्यवाही करने की सहमति चाहने पर उनके द्वारा थानाधिकारी के कक्ष में बैठकर कार्यवाही करने की सहमति प्रदान की, जिस पर थानाधिकारी कक्ष में बैठकर कार्यवाही आरंभ की गई। दाहिने हाथ के धोवण को मार्क क्रमंशः आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण को मार्क एलएच 1 व एलएच 2 चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर सिल्ड चिट किया जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। बरामदशुदा रिश्वत राशि का पुनः फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहान से मिलान करवाया गया तो 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये होना एवं नोटो के नम्बर हूबहू होना बताया। बरामदशुदा नोटो का विवरण निम्नानुसार है :–

क.सं.	नोट का प्रकार	नोट नम्बर
1	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	3BP 421976
2	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	3CH 921068
3	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	2NN 328123
4	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9UM 082740
5	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	6CN 279467
6	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	0HG 890303
7	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1HV 189984
8	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	4KH 701674
9	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	5CL 719892
10	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	6CH 159948
11	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1ND 821957
12	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7EA 121204
13	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9DE 325139
14	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	0PL 304840
15	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	5HA 584474
16	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1QC 710063
17	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	2SS 435405
18	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	8BN 887520
19	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7KA 908906
20	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	0BT 264357
21	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1PM137972
22	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7VL626141
23	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7VK027234
24	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	1GC321638
25	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9BC901764
26	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7LW170356
27	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7GF478364
28	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	2WP331325
29	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	5PM325787
30	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	5NC447523
31	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	4VL828402
32	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	4FQ517743
33	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7AA720060
34	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	2BR998129
35	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	8ER630930
36	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	4KN387997

37	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9KE159389
38	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	3LG217326
39	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	9CT730426
40	पांच सौ रुपये का नोट नम्बर	7TP554888

उक्त बरामदशुदा नोटो पर कागज की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर नोटो को सिल्ड कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके पश्चात् एक पजामे की व्यवस्था कर श्री शिशुपाल सिंह की पहनी हुई पेंट को ससम्मान उतरवाया गया व एक साफ कांच के गिलास को पुनः साफ कर थाना से स्वच्छ पानी मंगवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया तो रंगहीन होना बताने पर उक्त घोल में श्री शिशुपाल सिंह की पेंट की बांयी जेब को उलटवाकर उसमें रखे सफेद रूमाल सहित सोडियम कार्बोनेट के घोल के गिलास मे डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। जिसको दो साफ कांच की शिशियो मे आधा–आधा भरकर शिल्ड चिट कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। पेंट की बांयी जेब एवं रूमाल को सुखाकर पेंट की जेब मे जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेंट की बांयी जेब में रूमाल रखकर पेंट को सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क 'पी' अंकित कर कपडे की थेली पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता को वॉयस रिकार्डर चालु कर सुना गया तो रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता रिकार्ड होना पाया गया। आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एंव रिश्वत राशि बरामदगी मुर्तिब की जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 24.08.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट मुर्तिब की गई। मूल मैमोरी काडर्स सील्ड किये जाकर जब्त किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका घटना स्थल पृथक से मुर्तिब किया गया। जब्त शुदा मूल मैमोरी कार्ड व आरोपी की डीवीडी मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किये गये।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी शिशुपाल सिंह, आबकारी निरीक्षक, वृत किशनगढ जिला अजमेर द्वारा दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कस्बा किशनगढ में स्थित परिवादी के सेठ श्री मनीष टांक पुत्र श्री दीपक टांक से संबंधित चार शराब की दुकानो को निर्बाध रूप से चलाने व किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नही करने की एवज में मासिक बन्धी के रूप में दिनांक 23.08.22 को 25 हजार रूपये की मांग कर प्रति दुकान पांच हजार रूपये के हिसाब से चार दुकानो के 20,000 रूपये की मासिक बन्धी बतौर रिश्वत राशि लेना तय कर मांग अनुसार दौराने रिश्वत राशि लेन–देन आरोपी अधिकारी द्वारा परिवादी श्री मनीष टांक से 20,000 रूपये ग्रहण कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब मे रखे, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है। आरोपी श्री शिशुपाल सिंह के दाहिने एवं बांये हाथ के धोवण का रंग कमशः हल्का मटमेला एवं हल्का गुलाबी झांईनुमा एवं पेंट की बांयी जेब के धोवण का रंग गुलाबी आना पाया गया हैं। इस प्रकार आरोपी श्री शिशुपाल सिंह का उक्त कृत्य जुर्मअपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 का कारित करना पाया गया जाने पर पर उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते कमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान जयपुर को प्रेषित जायेगी।

(प्रभुलाल कुमावत)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रभुलाल कुमावत, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री शिशुपाल सिंह, आबकारी निरीक्षक, वृत किशनगढ़, जिला अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 326/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

24.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2849-53 दिनांक 24.8.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

24.8.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।